

**कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) "विशिष्ट श्रेणी" कोटा (राजस्थान)**

क्रमांक :- आवंटन/2021-22/3639

दिनांक :- 28-01-2022

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक  
कोटा

प्रसंग :- एफ.13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3945 दिनांक 20.08.2020 के जवाब के क्रम में।  
 प्रस्ताव का नाम :- Land For Extension of Bhamashah Krishi Mandi Samiti  
 यजर एजेन्सी का नाम :- Krishi Upaj Mandi Samiti, Kota  
 प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 96.00 Hec.  
 प्रस्तावित जिला एवं वन Kota District and Kota Division  
 मण्डल :-  
 प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण FP/RJ/Others/20036/2016 dated 29.06.2016  
 तिथि :-

1.	प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्नक पत्रादि पर हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(1)प्रसु/अनु/-1/2012 दिनांक 27.06.2019 की पालना के अनुसार हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी के नाम/पद अंकित करावें।	हस्ताक्षर के नीचे सक्षम अधिकारी का नाम/पद पूर्व में ही अंकित है और पुनः प्रेषित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव अग्रेषित करने के दौरान मुख्य पत्र में आपने स्पष्ट अनुशंषा/राय अंकित करना आवश्यक है।	श्रीमान उप वन संरक्षक द्वारा अनुशंषा की जायेगी।
3.	कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र (74+22 हैक्ट0) अर्थात् 96 हैक्ट0 मात्र का ही उल्लेख है। इसके आस-पास की उपज मण्डी से लगी वन भूमि जिस पर अतिक्रमण है अथवा सक्षम स्वीकृति के बिना ही गैर वानिकी कार्य के लिए जबरन काम में ली गई। उस वन भूमि के बारे में कोई उल्लेख/टिप्पणी नहीं है।	दिनांक 30.12.2021 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा के आदेश की पालना में क्षेत्रीय वन अधिकारी सर्वेयर कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा एवं राजस्व विभाग द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार 2.06 हैक्ट0 भूमि पर अतिरिक्त कब्जा कृषि मण्डी द्वारा अपने पूर्व के प्रस्तुत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में 74+22 हैक्ट0 के स्थान पर 71.94+24.06 हैक्ट0 का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
4.	अधिरोपित शर्त संख्या 5 के संबंध में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है तो वस्तुस्थिति से अवगत करावें।	प्रकरण सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के अधीन नहीं आता है।



(एम.एल. जाटव)

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)

विशिष्ट श्रेणी, कोटा